भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3383

जिसका उत्तर शुक्रवार, 05 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

विशेष पर्यावरण न्यायालय

3383. श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण सम्बन्धी कानूनों के उल्लंघन से जुड़े मामलों का त्वरित विचारण सुनिश्चित करने के लिए विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना के संबंध में कोई मांग/सिफारिशें कतिपय उच्च न्यायालयों में निहित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या नियमों और कानूनों के बावजूद कतिपय अदालतों द्वारा पर्यावरण के क्षरण पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है तथा कुछ राज्यों में जमीनी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा संबंधित हितधारकों द्वारा उठाए जाने हेतु सुझाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय ने सूचित किया है कि हरियाणा सरकार ने 24.11.2015 को फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में दो विशेष पर्यावरण न्यायालयों को अधिसूचित किया है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि चंडीगढ़ के संबंध में, पर्यावरण मामलों से संबंधित सभी मामलों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ की एक अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया है।

इलाहाबाद, राजस्थान और कर्नाटक के उच्च न्यायालयों ने सूचित किया है कि उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से "पर्यावरण प्रदूषण और मानव अधिकारों पर

गिरावट के प्रभावों को रोकने, न्यून करने और कम करने की सलाह" में दी गई सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है।

जम्मू - कश्मीर, बॉम्बे, छत्तीसगढ़, कलकत्ता, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मद्रास, मध्य प्रदेश, पटना और उत्तराखंड के उच्च न्यायालयों ने सूचित किया है कि इन उच्च न्यायालयों के पास पर्यावरण विधियों के उल्लंघन से जुड़े मामले के विचारण के लिए विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना के संबंध में कोई मांग/सिफारिशें निहित नहीं हैं।

(ख) : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सूचित किया है कि माननीय उच्च्तम न्यायालय ने आदित्य दूबे और अन्य और भारत संघ शीर्ष की रिट याचिका (सिविल) 1135/2020 में अपने तारीख 15.11.2021 के आदेश में विशेष रूप से निर्माण गतिविधियों, उद्योगों, परिवहन, थर्मल पावर प्लांट आदि के कारण एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया है और केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों / जीएनसीटीडी द्वारा एनसीआर में अपने कार्यालयों के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' पर विचार करने और समय-समय पर की गई कार्रवाई की स्थिति की समीक्षा करने को निर्देश दिया है । माननीय उच्च्तम न्यायालय ने एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ और अन्य, रिट याचिका (सिविल) 13029/1985 में तारीख 13.01.2020 के आदेश के अनुपालन में स्मॉग टावरों की दो प्रायोगिक पायलट परियोजनाएं, क्रमशः एक आनंद विहार में और दूसरी कनॉट प्लेस में केंद्रीय सरकार द्वारा 31 अगस्त, 2021 को और दिल्ली सरकार द्वारा क्रमशः 1 अक्टूबर, 2021 को कमीशन की गई है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए:-

<u>वाहन उत्सर्जन</u>

• एनसीटी, दिल्ली में 1 अप्रैल, 2018 से बीएस-IV से बीएस-VI ईंधन मानकों तक और देश के बाकी हिस्सों में 1 अप्रैल, 2020 से लागू करना।

• अप्रैल, 2020 से देश भर में बीएस VI अनुपालक वाहनों की शुरूआत।

• ईंधन की खपत और प्रदूषण को कम करने के लिए एक्सप्रेसवे और राजमार्गों का विकास।

• दिल्ली से गैर नियत यातायात को डायवर्ट करने के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को चालू कर दिया गया है।

• एनसीआर, दिल्ली में 2000सीसी और उससे अधिक की इंजन क्षमता वाले डीजल वाहनों पर पर्यावरण संरक्षण शुल्क (ईपीसी) लगाया गया है।

• पेट्रोल में सीएनजी, एलपीजी, एथेनॉल सम्मिश्रण जैसे स्वच्छ/वैकल्पिक ईंधन की शुरूआत।

• सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और सड़कों में सुधार और सड़कों पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए अधिक पुलों का निर्माण करना।

• सार्वजनिक परिवहन के लिए मेट्रो रेल के नेटवर्क को बढ़ाया गया है और अधिक शहरों को शामिल किया गया है।

• दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने वाहनों पर प्रतिबंध।

• इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से अंगीकरण और निर्माण (फेम) -2 योजनाएँ शुरू की गई हैं।

• इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए परमिट की आवश्यकता से छूट दी गई है।

• सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और सड़कों में सुधार और सड़कों पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए अधिक पुलों का निर्माण करना।

<u>औद्योगिक उत्सर्जन</u>

• एनसीआर में पेट कोक और फर्नेस ऑयल के उपयोग पर प्रतिबंध, सीमेंट संयंत्रों, चूना भट्टों और कैल्शियम कार्बाइड निर्माण इकाइयों में प्रक्रियाओं में पेट कोक का उपयोग।

• कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के लिए कड़े उत्सर्जन मानदंड।

• दिल्ली में औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी/स्वच्छ ईंधन में स्थानांतरित करना

• अत्यधिक प्रदूषण में ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी उपकरणों की स्थापना उद्योग।

• प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली-एनसीआर में ईंट भट्ठों को ज़िगज़ैग तकनीक में स्थानांतरित करना

<u>धूल और कचरे के जलने से वायु प्रदूषण</u>

• ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-कचरा, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, सीएंडडी अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट को शामिल करते हुए 6 अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की अधिसूचना।

• अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र जैसे बुनियादी ढांचे की स्थापना।

• प्लास्टिक और ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर)।

• बायोमास/कचरा जलाने पर प्रतिबंध।

<u>परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी</u>

• राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों के अधीन मैनुअल के साथ-साथ निरंतर निगरानी स्टेशनों के वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का विस्तार

• कम लागत वाले सेंसर और उपग्रह आधारित निगरानी जैसी वैकल्पिक परिवेश निगरानी प्रौद्योगिकियों का आकलन करने के लिए पायलट परियोजनाओं की शुरुआत।

<u>एनसीएपी के कार्यान्वयन की निगरानी</u>

• सरकार ने भारत में शहर और क्षेत्रीय पैमाने पर वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कार्यों को रेखांकित करने वाली राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में राष्ट्रीय स्तर के रूप में एनसीएपी लॉन्च किया है। 132 एनएसी और एमपीसी में कार्यान्वयन के लिए शहर विशिष्ट हवाई कार्य योजनाएं शुरू की गई हैं

• एनसीएपी के तहत 82 गैर-प्राप्ति शहरों को क्रिटिकल गैप फंडिंग के लिए सहायता प्रदान करने के लिए 472.06 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। एनसीएपी परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार शहरों के प्रदर्शन के आधार पर धन का वितरण किया जाता है।

• इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग (15-एफसी) ने 42 मिलियन से अधिक शहरों/शहरी समूहों को 4,400 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान प्रदान किया है, जिसमें वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 50 गैर-प्राप्ति वाले शहर शामिल हैं।

• मिलियन-प्लस सिटीज चैलेंज फंड (एमपीसीसी एफ) के अधीन 42 मिलियन से अधिक शहरों/शहरी समूहों की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए वित्त वर्ष 2020-21 से 2025-26 के लिए 12.139 करोड़ रुपये का प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन अनुदान आवंटित किया गया है। एमओईएफएंडसीसी परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी है और 42 मिलियन से अधिक शहरों को अनुदान देने के लिए डीओई की सिफारिश करती है।

• वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 42 एमपीसी के लिए, डीओई द्वारा 42 शहरों/यूए को एमओईएफ और सीसी द्वारा किए गए उनके प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर 2025 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

• शहर विशिष्ट कार्य योजनाओं की नियमित रूप से केंद्रीय समितियों द्वारा निगरानी की जाती है; शीर्ष, संचालन, निगरानी और कार्यान्वयन समिति; राज्य में; संचालन, कार्यान्वयन समिति और शहर स्तर पर कार्यान्वयन और निगरानी समिति।

• दिल्ली, कानपुर और लखनऊ के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का कार्यान्वयन। सिस्टम समय पर कार्रवाई करने के लिए अलर्ट प्रदान करता है।

• दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दों के बारे में सार्वजनिक शिकायतों को 'समीर ऐप', 'ईमेल' (Aircomplaints.cpcb@gov.in) और 'सोशल मीडिया नेटवर्क्स' (फेसबुक और ट्विटर) के माध्यम से लिया जाता है।

• प्राण एनसीएपी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है।

****